आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपीलवाद सं0–226/2019

श्री अवधेश कुमार

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
09.02.2023	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJCसंख्या–13746/2014 में दिनांक–23.07.2019 को दिये गये आदेश के आलोक में श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन पंचायत सचिव सम्प्रति बर्खास्त, प्रखंड जन्दाहा, वैशाली द्वारा यह अपील दायर की गयी है। जिलापदाधिकारी, वैशाली से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला अवधेश कुमार, तत्कालीन पंचायत सचिव सम्प्रति बर्खास्त, प्रखंड जन्दाहा, वैशाली पर लगाये गये आरोप पर लिये गये निर्णय से संबंधित है। अभिलेखके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, जन्दाहा के पत्रांक 210 दिनांक 11.02.2012 द्वारा श्री अवधेश कुमार, पंचायत सचिव, जन्दाहा प्रखंड के दिनांक 10.02.2012 को निगरानी धावादल द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सूचना जिला पदाधिकारी, वैशाली को दी गयी। उक्त पत्र के आलोक में श्री कुमार, पंचायत सचिव को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना, द्वारा दिनांक 01.08.2012 को जमानत मिलने पर श्री कुमार द्वारा दिनांक 03.08.2012 को योगदान दिया गया। श्री कुमार पर गंभीर प्रकृति का आपराधिक आरोप होने के कारण योगदान स्वीकृति के पश्चात् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(i) के तहत पुनः इन्हें योगदान कि तिथि से निलंबित करते हुए मुख्यालय, महुआ अनुमंडल निर्धारित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, जन्दाहाको उपस्थापन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

श्री कुमार पर प्रपत्र ''क'' में निम्न आरोप लगाए गयेः–

श्री यशवंत कुमार, पंचायत शिक्षक, पिता श्री विशेश्वर राय, ग्राम+पो0–महिपुरा, थाना–जन्दाहा, जिला–वैशाली द्वारा पुलिस अधीक्षक–सह–थाना अध्यक्ष निगरानी थाना को दिये गये आवेदन में लिखा गया कि पंचायत शिक्षक के पद पर अठारह माह से कार्य कर रहा हूँ लेकिन वेतन अभी तक नहीं मिला है, जबकि पंचायत शिक्षकों के वेतन मद में मो0–136449.00 रूपया का आवंटन पंचायत में प्राप्त है। ग्राम पंचायत महिपुरा के पंचायत सचिव श्री अवधेश कुमार ने मानदेय भुगतान हेतु 25,000.00 रूपये की माँग की है। निगरानी विभाग के धावा दल ने दिनांक 10.02.2012 को इन्हें 20,000.00 रूपये(बीस हजार) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस तरह इनके द्वारा पंचायत शिक्षक के अठारह माह का मानदेय भुगतान नहीं किया जाना सरकारी सेवक के अनुमान्य आचरण के प्रतिकुल है। इस संबंध में इनपर निगरानी थाना कांड सं0–017/12 भी दर्ज है, जो इनके कुकृत्य को स्पष्ट दर्शाता है।

संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ के पत्रांक 15(मु0) दिनांक 08.03.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार पर लगाया गया आरोप प्रमाणित पाया गया।

संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए जिला पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 14(मु0) दिनांक 20.05.2014 द्वारा श्री कुमार, पंचायत सचिव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत आदेश निर्गत की तिथि से बर्खास्त कर दिया गया।

जिला पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–13746/2014 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 23.07.2019 को आदेश पारित है, जिसका अंश निम्न प्रकार है–

"In view of objection raised by State counsel, this court would observe that if the petitioner files appeal within four weeks, Commissioner, Tirhut Division(respondent no. 8) shall consider the same on its own merit without raising issue of delay and dispose it of by reasoned and speaking order in accordance with law within eight weeks thereafter."

WEB COPY NOT OFFICIAL

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के आलोक मे श्री कुमार द्वारा इस न्यायायल में सेवा अपील वाद 226/2019 दायर किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, जन्दाहा के पत्रांक 579 दिनांक 08.03.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी को मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख है कि आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि बिना गवाहों के बयान के विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। गवाहों की सूची अपीलार्थी को नहीं दी गयी और न ही गवाहो के साथ प्रति परीक्षण किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा हेतु संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एवं साक्ष्य के अपीलार्थी को दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप से संबंधित साक्ष्य की मांग की गयी, जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जो विभागीय कार्यवाही के नियमों के प्रतिकुल है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(i)श्री अवधेश कुमार, पंचायत सचिव को निगरानी धावा दल द्वारा 20,000=00 (बीस हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी।

(ii) अपीलकर्ता का यह कहना कि उसके द्वारा मांगे गये दस्तावेज संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, असत्य प्रतीत होता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि :–

''श्री अवधेश कुमार द्वारा प्रथम उपस्थापन तिथि 10.12.14 को उपस्थित होकर पाँच कागजातों यथा–(1) यशवंत कुमार, पंचायत शिक्षक द्वारा दिए गए आवेदन की सत्यापित प्रति, (2) निगरानी थाना कांड संख्या–17/12 की प्रति। (3) प्रीट्रैप मेमोरण्डम, पोस्ट ट्रैप मेमोरण्डम, (4) वैसे गवाह के कथन की प्रति एवं लिस्ट जो कार्यवाही में है तथा (5) ऐसे आदेश की प्रति जिसमें उन्हें यशवंत कुमार, पंचायत शिक्षक को वेतन देना आदेशित है, की मांग की गई। उक्त तिथि को उन्हें आरोप पत्र में साक्ष्य स्वरूप संलग्न किये गये कागजातों से –(1) निगरानी थाना कांड संख्या–17/12

WEB COPY NOT OFFICIAL

की प्रति (2) प्रीट्रैप मेमोरण्डम, पोस्ट ट्रैप मेमोरण्डम एवं

अन्य संबंधित कागजात की छायाप्रति उन्हें उपलब्ध कराते हुए दिनांक 18. 02.2014 तक स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।''

(iii)अपीलकर्ता का कहना है कि आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण श्री यशवंत कुमार को भुगतान नहीं किया गया, परंतु पंचायत शिक्षक रोकड़ बही के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2009 में शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु राशि 1,05,000=00 दिनांक 10.10.2009 को प्राप्त हुआ, जिसे दिनांक 16.10.2009 को भुगतान किया गया। पुनः दिनांक 04.02.2010 को 2,14,000=00 रूपया आवंटन प्राप्त हुआ, जिसे दिनांक 22.02.2010 को बांटा गया। फिर दिनांक 14.02.2011 को राशि प्राप्त हुआ जिसे आठ शिक्षकों/शिक्षिकाओं में दिनांक 20.02.2011 को बांटा गया।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विभिन्न अंतरालों पर मानदेय भुगतान हेतु राशि प्राप्त हुई, परन्तु श्री यशवंत कुमार, पंचायत शिक्षक जिनका नियोजन अगस्त 2010 को ही हुआ था, को मानेदय का भुगतान नहीं किया गया। दिनांक 20.02.2011 को आठ शिक्षकों का मानदेय भुगतान के उपरांत मु0 30,602=00 शेष था, फिर भी श्री कुमार का मानदेय भुगतान किस परिस्थिति में नही किया गया स्पष्ट नहीं है।

उल्लेखनीय है कि आवंटन किसी कार्यालय में किसी विशेष शीर्ष के अंतर्गत सभी कर्मियों के लिए आता है न कि किसी विशेष कर्मी के लिए। उपलब्ध आवंटन से सभी कर्मियों का भुगतान समानुपातिक रूप से किया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। उपलब्ध आवंटन में से आठ शिक्षकों का मानदेय का भुगतान कर दिया जाना एवं एक शिक्षक का मानदेय लंबित रखना गलत मंशा को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि नाजायज राशि की उगाही के उद्देश्य से आरोपी द्वारा श्री यशवंत कुमार, पंचायत शिक्षक का मानदेय लंबित रखा गया।

आवेदक श्री यशवंत कुमार, पंचायत शिक्षक का मानदेय भुगतान अपीलकर्ता के स्तर पर लंबित था, जिसके एवज में 20,000=00 (बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए अपीलकर्ता को निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

श्री कुमार, बर्खास्त पंचायत सचिव का यह कृत्य गंभीर प्रकृति का कदाचार है जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(i) के भी प्रतिकूल है। यदि श्री कुमार को कठोरतम दंड नहीं दिया

WEB COPY NOT OFFICIAL

	जाता, तो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोक पाना संभव नहीं होगा। अतः जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारापारित बर्खास्तगी से संबंधित आदेश को बरकरार रखते हुए श्री कुमार, बर्खास्त पंचायत सचिव के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL